

भा०रा०उप०सह०सं०म०/मुख्या०/व्य०/2023-24/6597

दिनांक: 04.12.2023

अध्यक्ष/ सचिव,

पैक्स, सोसायटी और उसके सदस्य

**विषय:** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम के लिए पैक्स का नामांकन - संबंध में

महोदय/महोदया,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की ओर से शुभकामनाएं।

एनसीसीएफ देश में उपभोक्ता सहकारी संघ का एक शीर्ष संघ है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। एनसीसीएफ अपने वाणिज्यिक परिचालन का संचालन विभिन्न राज्यों की राजधानियों और देश के अन्य स्थानों में स्थित अपनी 27 शाखाओं और कार्यालयों के माध्यम से कर रहा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार एनसीसीएफ में बहुसंख्यक शेयरधारक है और एनसीसीएफ के खातों का लेखापरीक्षित विवरण और वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है।

भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्र (138 करोड़ हेक्टेयर) का 11% (16 करोड़ हेक्टेयर) और कुल विश्व जनसंख्या (790 करोड़) का 18% (140 करोड़) हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि विश्व की 18% आबादी की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के पास केवल 11% खेती योग्य भूमि है। एफएओ सांख्यिकीय डेटा 2021 के आधार पर, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 एमएमटी है और भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 एमएमटी है, यानी 166 एमएमटी भंडारण की कमी है। अन्य देशों में 131% अधिशेष भंडारण क्षमता है, जबकि भारत में 47% की कमी है।

ऐसी परिस्थितियों में, सहकारिता मंत्रालय का इरादा भारत में पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण बनाने का है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, कई हैंडलिंग और परिवहन लागत में भारी कमी की जा सके, किसानों द्वारा कम दरों पर बिक्री को रोका जा सके, एफसीआई द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद की जा सके। दक्षता और प्रभावशीलता के लिए राज्य सरकार और भंडारण आधारित "हब" और "स्पोक" मॉडल।

वर्तमान में, एनसीसीएफ पैक्स स्तर पर इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार के सहयोग मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। इच्छुक पीएसीएस (PACS) को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए एनसीसीएफ के साथ नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुपालन वाले सभी पैक्स सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम के तहत लाभ/सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं:

जारी पृष्ठ 2

::पृष्ठ 2::

1. भंडारण/गोदाम के निर्माण के लिए कम से कम 1 एकड़ का लैंडबैंक।
2. परिचालन पैक्स लाभदायक होंगे।
3. योजना का हिस्सा बनने के लिए पैक्स की इच्छा
4. 500 मीटर के आसपास कोई डीजल पंप नहीं
5. डीसीसीबी कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के तहत पात्र
6. एएमआई लाभ के लिए परियोजना लागत का 20% और एआईएफ सबर्वेशन के लिए 10% मार्जिन मनी का योगदान करने में सक्षम।
7. वित्तपोषण के लिए घटकों की समझ
8. पैक्स द्वारा बोर्ड संकल्प

लाभ प्राप्त करने के लिए पैक्स के लिए नीचे उल्लिखित योजना सब्सिडी लागू है:

1. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) निधि
2. एमओएफपीआई-सीईएफपीपीसी
3. एसएमएम
4. एआईएफ सबर्वेशन

हम हर समय अपनी सर्वोत्तम सेवाओं से कृषक समुदाय की सेवा करने के लिए तत्पर हैं।

धन्यवाद,

भवदीया,

एनीस जोसफ चंद्र  
4/12/23  
(एनीस जोसफ चंद्र)  
प्रबंध निदेशक